प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 24.11.2025 को आयोजित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत टाईप-II आदेशों के अनुपालन की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार।
2. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया।
3. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज।
4. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार सदर।
5. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई।
6. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी।
7. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा।
8. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर।
9. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी।
10. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया।

सर्वप्रथम प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की महत्ता को विस्तार से बताते हुए जिलावार प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी। प्रमण्डलीय आयुक्त के द्वारा भूमि विवाद से संबंधित परिवादों के समयबद्ध रूप से समुचित निस्तार नहीं होने पर खेद व्यक्त किया गया। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांश मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत अभिरूचि न लेते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। खासकर जमीन के मामलों तथा न्यायालय संबंधी मामलों में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से गैर जिम्मेदार तरीके से परिवाद को निरस्त कर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आम जनता के समस्याओं के निपटारा करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया बहुत ही उपयोगी कानून है। अतः ऐसी स्थिति में सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस अधिनियम के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील होते हुए परिवादी के परिवाद का यथोचित निस्तारण ससमय किया जाना चाहिए। इसकी अपेक्षा सभी पदाधिकारियों से है। जिलों से प्राप्त प्रविवेदनों के समीक्षोपरांत दृष्टिगत स्थिति के आलोक में निम्नांकित निदेश दिया जाता है :-

1. विगत समीक्षा बैठक (21.10.2025) के आलोक में Type-II conditional order का अनुपालन/कृत कार्रवाई प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में (Case wise) उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमंडलीय आयुक्त-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अनुपालन प्रतिवेदन भी विहित प्रपत्र में (Case wise) उपलब्ध नहीं कराया गया है। सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस संबंध में एक सप्ताह के अंदर समाहर्त्ता के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करें।

2. सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के Type-II conditional order का प्रतिवेदन निम्नांकित हैः-

क्र0 सं0	जिला का नाम	लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	Type-II conditional order के लंबित मामले।
01	पूर्णिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	59
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सदर पूर्णिया	179
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बनमनखी	35
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धमदाहा	96
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बायसी	108
2	कटिहार	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	215
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, कटिहार	60
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई	25
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मनिहारी	23
3	अररिया	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	524
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अररिया	1353
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, फारबिसगंज	18
4	किशनगंज	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	19
		अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, किशनगंज	82

समीक्षा में यह पाया गया कि इसकी समीक्षा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर से नहीं किया गया है जो खेदजनक स्थिति है। इसमें 15 दिनों के अंदर सुधार लाने का निदेश दिया जाता है। जिला लोक शिकायत पदाधिकारी प्रत्येक सोमवार को साप्ताहिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि अपने कार्यालय के लंबित पुराने मामलों का समीक्षा करें। तथा अपने कार्यालय से संबंधित लंबित Type-II conditional order के संबंध में प्रत्येक माह न्यूनतम 15 प्रतिशत मामलों का अनुपालन लोक प्राधिकार द्वारा कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक से 03 दिन पूर्व आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में उपलब्ध कराया जाय।

4. प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत Type-II conditional order में अनुपालन हेतु लंबित मामलों की संख्या जिलावार पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज में क्रमशः 198, 159, 177 एवं 84 है। जिसकी समेकित सूची सभी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुकी है। सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा निर्गत Type-II conditional order के संबंध में प्रत्येक माह न्यूनतम 15 प्रतिशत Type-II conditional order का अनुपालन लोक प्राधिकार द्वारा कराते हुए समेकित अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक से 03 दिन पूर्व आयुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में उपलब्ध कराया जाय।

अगली समीक्षा बैठक 23.12.2025 को 11:00 पूर्वाहन में निर्धारित की जाती है।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

ह0/–
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक......6650....../लो0शि0नि0, पूर्णिया, दिनांक ..25-11-25..........................

प्रतिलिपि :- अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया सदर, बायसी, धमदाहा, बनमनखी/कटिहार सदर, मनिहारी, बारसोई/अररिया, फारबिसगंज/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक......6650..../लो0शि0नि0, पूर्णिया, दिनांक ..25-11-25........................

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj K.
25/11/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।